उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-5

संख्या-107/2015/686/1-5-2015-117/2014

लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 3, सन् 1901) की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त पूर्व में जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद गाजीपुर में एक नई तहसील सृजित करते हैं, जो तहसील सेवराई के नाम से जानी जायेगी, जिसका मुख्यालय ग्राम सेवराई होगा, जिसमें नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्राम समाविष्ट होंगे और विद्यमान तहसील जमानिया की सीमाओं को, उसमें से उक्त ग्रामों को अपवर्जित करके परिवर्तित करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में, जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

तहसील जमानिया से अपवर्जित किये गये और नवसृजित तहसील सेवराई में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची:-

1	सेवराई	26	अहिवरनपुर	51	शाहोपुर ता0बारा	76	सुल्तानपुर
2	रामपुरउर्फकटुइया	27	देवधनपुर	52	पाहस्वरूप	77	सिंघा
3	भदौरा	28	महमूदपुर	53	सिकन्दरपुर ता0बारा	78	उचितपुर
4	रजईपुरउर्फराजपुर	29	शाहोपुर ता0 रेवतीपुर	54	रोईनी	79	इटवां
5	रामगढ़ उर्फरामपुर	30	करहियां	55	रसूलपुर ता0बारा	80	राजमलबांध
6	देवकली	31	शेरपुर ता0 करहियां	56	खेमापुर	81	रायसेनपुर
7	बकैनियां	32	पिपरौली	57	मनिहरबुजुर्ग	82	टण्डवाउर्फतिलहठा
8	कुसियरा	33	सकरहट	58	टेकुरिया खुर्द	83	हथौरी
9	गोड़सरा	34	घोसवल	59	टेकुरियाकलां	84	केषोपुर
10	देवल	35	जगवल	60	बारा	85	चौरही
11	लहना	36	खुदुरा	61	मिश्रवलियां ता0 बारा	86	पचौरी
12	बरेजी	37	सिकन्दरपुर ता0 गहमर	62	प्रतापपुर	87	कपूरपुर
13	रामपुरकनवा	38	हरिशंकरपुर मु0 गहमर	63	गं0ब0गहमर	88	आशानन्दपुर
14	बकसड़ा	39	पथरा	64	निजामपुर	89	मलिकपुरलाजी
15	मिश्रवलियां ता0 सेवराई	40	मनियां	65	पाहमझौवा	90	सायर
16	अमौरा	41	दलपतपुर	66	गहमर	91	चकविदामन
17	सुरहा	42	हरकरनपुर	67	धानापुरउर्फ घाटमपुर	92	उसिया
18	ताजपुरकुर्रा	43	भतौरा खुर्द	68	पटखौलियां ता0गहमर	93	फरीदपुर
19	कमेसराडीह	44	भतौराबुजुर्ग	69	आराजीमाफी	94	देहवल
20	खजुरी	45	चांदबराही	70	हरनाथपुर	95	पलियां
21	अरंगी	46	मलिकफरीद	71	अकबरपुर	96	निरहूकापूरा
22	सिहानी	47	पाहगोवर्धन	72	मलिकपुर	97	बहुअरा
23	सरैला	48	जलालपुर	73	मनिहरकला	98	बगेसरी
24	चित्रकोनी	49	मगरखाई	74	मनिहर खुर्द	99	करमा
25	गदाईपुर	50	कुतुबपुर	75	जीवनरायनपुर	100	भक्सी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

101	बभनौलियां	112	परमानन्दपुर	123	त्रिलोकपुर	134	गोपीनाथपुर
102	सूर्यभानपुर	113	नगदीलपुर	124	महनाकला खुर्द	135	हसनचक
103	धनाढ़ी	114	नगसरनेवाजूराय	125	बसुका	136	मधुचक
104	रकसहां	115	पियजुवा	126	बहादुरपुर ता0 रेवतीपुर	137	अब्दुल्लाहपुर
105	दिलदारनगर	116	नगसरमीरराय	127	जमालपुर	138	कल्यानपुर
106	चकरूकनुदीन	117	गगरन	128	हेतिमपुर ता0 रेवतीपुर	139	नरायनपुरउर्फहरिहरपुर
107	अठहठा	118	बेमुआ	129	दलपतपुर ता0 रेवतीपुर	140	पृथ्वीपुर
108	नसीरपुर	119	डारीडीह	130	जागोपुर	141	साधोपुरउर्फरामपुर
109	विरउपुर	120	बहादुरपुरजगजीवन	131	रेवतीपुर	142	गोविन्दपुर
110	हसनपुरा	121	नौली	132	कवलानिरंजन	143	जगबन्धनपुरउर्फमुबारकपुर
111	दुल्लहपुर	122	उतरौली	133	गं0ब0 कल्यानपुर	144	टौंगा

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-107/2015/686(1)/1-5-2015-117/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिलाधिकारी, गाजीपुर।

2- प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद सहित, संयुक्त निदेशक राजकीय प्रेस शाखा, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को तत्काल दिनांक 29 जून, 2015 के असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित 500 मुद्रित प्रतियां शासन के राजस्व अनुभाग-5, 20 प्रतियां जिलाधिकारी, गाजीपुर, 20 प्रतियां आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी तथा 50 प्रतियां आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग-9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8- राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ/निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 107/2015/686/1-5-2015-117/2014, dated 29 June, 2015 for general information :-

Notification

No. 107/2015/686/1-5-2015-117/2014
Lucknow, Dated 29 June, 2015

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 11 of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no. III of 1901) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. I of 1904) and in partial modification of Government notifications issued earlier in this behalf, the Governor is pleased to create a new tahsil to be known as tahsil Sewarai in district Gazipur with its Headquarters at Village Sewrai comprising the villages specified in the Schedule below and to alter the limits of existing tahsil Jamaniya by excluding the said villages therefrom with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

Schedule

List of villages excluded from tahsil Jamaniya and included in the newly created tahsil Sewarai.

1	SEWARAI	26	AHIWARANPUR	51	SHAHOPUR TALUKA BARA	76	SULTANPUR
2	RAMPUR URF KATUIA	27	DEWADHANPUR	52	PAHSWARUP	77	SINGHA
3	BHADAURA	28	MAHMUDPUR	53	SIKANDARPUR TALUKA BARA	78	UCHITPUR
4	RAJAIPUR URF RAJPUR	29	SHAHOPUR TALUKA REWATIPUR	54	ROINI	79	ITAWA
5	RAMGARH URF RAMPUR	30	KARAHIA	55	RASULPUR TALUKA BARA	80	RAJAMALBANDH
6	DEWKALI	31	SHERPUR TALUKA KARAHIA	56	KHEMAPUR	81	RAYSENPUR
7	BAKAINIA	32	PIPARAULI	57	MANIHAR BUJURG	82	TANDAWA URF TILAHATHA
8	KUSIYARA	33	SAKARAHAT	58	TEKURIA KHURD	83	HATHAURI
9	GORASARA	34	GHOSAWAL	59	TEKURIA KALAN	84	KESHOPUR
10	DEWAL	35	JAGAWAL	60	BARA	85	CHAURAHI
11	LAHANA	36	KHUDURA	61	MISHRAWALIA TALUKA BARA	86	PACHAURI
12	BARAJI	37	SIKANDARPUR TALUKA GAHAMAR	62	PRATAPPUR	87	KAPURPUR
13	RAMPUR KANAWA	38	HARISAHANKARPUR MUTALIKE GAHAMAR	63	GANG BARAR GAHAMAR	88	ASHANANDPUR
14	BAKASARA	39	PATHARA	64	NIJAMPUR	89	MALIKPUR LAJI
15	MISHRAWALIA TALUKA SEWARAI	40	MANIA	65	PAHMAJHAUWA	90	SAYAR
16	AMAURA	41	DALAPATPUR	66	GAHAMAR	91	CHAKWIDAMAN
17	SURAHA	42	HARAKARANPUR	67	DHANAPUR URF GHATAMPUR	92	USIA
18	TAJPUR KURRA	43	BHATAURA KHURD	68	PATKHAULIA TALUKA GAHAMAR	93	FARIDPUR
19	KAMESARADIH	44	BHATAURA BUJURG	69	ARAJIMAFI	94	DEHWAL
20	KHAJURI	45	CHANDBARAHI	70	HARNATHPUR	95	PALIAN
21	ARANGI	46	MALIKFARID	71	AKBARPUR	96	NIRAHUKAPURA
22	SIHANI	47	PAHGOWARDHAN	72	MALIKPURA	97	BAHUARA
23	SARAILA	48	JALALPUR	73	MANIHARKALA	98	BAGESARI
24	CHITRAKONI	49	MAGARKHAI	74	MANIHAR KHURD	99	KARAMA
25	GADAIPUR	50	KUTUBPUR	75	JIWANARAYANPUR	100	BHAKASI

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

101	BABHNAULIAN	112	PARAMANANDPUR	123	TRILOKPUR	134	GOPINATHPUR
102	SURYABHANPUR	113	NAGADILPUR	124	MAHANA KALA KHURD	135	HASANCHAK
103	DHANARAHI	114	NAGASAR NEWAJU RAY	125	BASUKA	136	MADHUCHAK
104	RAKASAHA	115	PIYAJUWA	126	BAHADURPUR TAULKA REWATIPUR	137	ABDULLAHPUR
105	DILDARNAGAR	116	NAGASAR MIR RAY	127	JAMALPUR	138	KALYANPUR
106	CHAKRUKANUDIN	117	GAGARAN	128	HETIMPUR TALUKA REWATIPUR	139	NARAYANPUR URF HARIHARPUR
107	ATHAHATHA	118	BEMUA	129	DALAPATPUR TALUKA REWATIPUR	140	PRITHAWIPUR
108	NASIRPUR	119	DARIDIH	130	JAGOPUR	141	SADHOPUR URF RAMPUR
109	WIRAUPUR	120	BAHADURPUR JAGAJIWAN	131	REWATIPUR	142	GOBINDPUR
110	HASANPURA	121	NAULI	132	KAWALANIRANJAN	143	JAGABANDHANPUR URF MUBARAKPUR
111	DULLAHAPUR	122	UTRAULI	133	GANG BARAR KALYANPUR	144	TAUNGA

By Order,

Suresh Chandra
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।